इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 3865/आर–1851162–2024–बी–1–दो. भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 193 की उप–धारा (3) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विहित करती है, कि धारा 193 की उप–धारा (3) के खण्ड (दो) के अधीन दी जाने वाली सूचना के अलावा, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, संज्ञेय अपराध में अनुसंधान के परिणाम के अनुसार, आरोप पत्र/खात्मा/खारिजी प्रतिवेदन कीसूचना के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार, उस अपराध के पीड़ित व्यक्ति को/उस व्यक्ति को, जिसकी सूचना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, सूचित करेगा।

यह सूचना, किन्हीं भी साधनों द्वारा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक संसूचना भी है, दी जा सकेगी। आरोप पत्र/खात्मा/खारिजी प्रतिवेदन की ऐसी सूचना, उसके न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व दी जाएगी, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा, कि यहकिस दिनांक को, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 193 की उप–धारा (3) खण्ड (तीन) के अधीन प्रेषित किए जाने वाले सूचना पत्र का प्रारूप

यह कि, (सूचनाकर्ता/पीड़ित का नाम)........................आपके द्वारा दी गई सूचना/आपके विरूद्ध किए गए अपराध के आधार पर, पुलिस थाना.........जिला........में धारा..............के अंतर्गत अपराध क्रमांक................पंजीबद्ध किया गया था।

पूर्वोक्त प्रकरण में अनुसंधान दिनांक....................कोपूर्ण कर लिया गया है और मामले में आरोप पत्र/खात्मा/खारिजी प्रतिवेदन क्रमांक.......................तैयार किया गया है और वह दिनांक ....तैयार किया गया है और वह दिनांक...................को माननीय न्यायालय................में प्रस्तुत किया जाएगा।

हस्ताक्षर
अनुसंधानकर्ता अधिकारी/
थाना प्रभारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव राजपूत, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. आर—1851162—2024—बी—1—दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव राजपूत, सचिव.

No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two. Bhopal, the 13rd January 2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (3) of section 193 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the State Government, hereby, prescribes that apart from the information to be given, the Officer-in-charge of the Police Station, according to the result of investigation in the cognizable offence, charge sheet/closure/ expunction report, as per the draft enclosed with the notice, shall inform to the person who is victim of the said offence/person on whose information the criminal case was registered.

This intimation may be given by any means, which includes electronic communication. Such intimation of charge sheet/closure/expunction report shall be given before its presentation in the Court, wherein it shall be mentioned that on which date it shall be presented in the Court.

Draft notice to be sent under section 193 (3) (iii) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)

That, (Name of the informant/victim) .... on the basis of information furnished by you/offence committed against you a criminal case no. .... under section .... was registered at Police Station .... District .... and taken into investigation.

Investigation in aforementioned case has been concluded on date .... and a Charge Sheet/Closure/Expunction Report bearing No. ...., has been prepared in the matter and the same shall be filed before the Court of .... on date ....

Dated ----------

Investigating Officer/ SHO

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GAURAV RAJPUT, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.